सियासी भूचाल ▶ विवादास्पद नामों वाली नवगठित कार्यकारिणी 48 घंटे के भीतर भंग

भाजपा में विवादित चेहरों की एंट्री पर मचा घमासान

नवभारत, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जबलपुर ग्रामीण संगठन में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया, जब नवगठित कार्यकारिणी को गठन के महज 48 घंटे के भीतर ही भंग कर दिया गया। पूरी टीम को भंग किए जाने से जिले के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह संगठन में कुछ कांग्रेसी पृष्ठभूमि के नेताओं की एंट्री और कुछ चेहरे गलत गतिविधियों में संलिप्त होना बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जबलपुर ग्रामीण संगठन में नई कार्यकारिणी की सूची जारी हुई, तभी से संगठन के भीतर असंतोष के सुर उभरने लगे थे। कुछ ऐसे चेहरों को जगह दे दी गई थी जिन पर स्थानीय स्तर पर गंभीर आपत्तियां थीं। विवाद बढ़ता देख मोर्चा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट संजीत अहिरवार ने नवगठित जिला जबलपुर ग्रामीण अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विवादित नामों पर समय रहते कड़ा कदम उठाकर जिला नेतृत्व ने संगठन के भीतर किसी भी तरह के बड़े डैमेज को रोकने की कोशिश की है।

प्रदेश अध्यक्ष को भेजा पत्र, अब प्रदेश नेतृत्व में होगा नई टीम का गठन

दो दिनों के भीतर ही जिला कार्यकारिणी के भंग होने से भाजपा गलियारों में हड़कंप मच गया है। हालांकि, जिला अध्यक्ष ने साफ किया है कि वे संगठन के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठकर दोबारा मंथन करेंगे। भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ही सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल कर नई और मजबूत समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष एडवोकेट संजीत अहिरवार ने मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार भोपाल को आधिकारिक पत्र लिखकर इसकी लिखित सूचना दी है। जिला अध्यक्ष ने पत्र में साफ तौर पर स्वीकार किया कि समिति में कतिपय विवादास्पद नाम शामिल हो गए थे, जिसके चलते 17 जुलाई को इस पूरी कार्यकारिणी को निरस्त किया जा रहा है।

इन्हें किया गया था शामिल

कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर मुकेश वंशकार, विमलेश चौधरी, अंशुल सोनकर, अनिल चौधरी, आशीष चडार, जिला महामंत्री विजय सागर, अभिषेक दाहिया और मंत्री पद पर दीपक झारिया, मुकेश चौधरी, बृजेन्द्र मेहरा, द्रोपती चौधरी, राजेश अहिरवार, सतीश झारिया को नियुक्त किया गया था। जबकि कोषाध्यक्ष ललित चौधरी, सह कोषाध्यक्ष कैलाश झारिया, कार्यकाल मंत्री अशोक पटेल, सह कार्यालय मंत्री आशीष झारिया को बनाया गया था। इसके अलावा केशल, सूरज, अमन, अजय, ओमप्रकाश, रवि, उमेश, दौलत, संतोष, सतीश, दीपक , जुगल, , रानी, पूनम, अजय, महेश, अयोध्या को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी।

कांग्रेसियों को जगह मिलने से भड़का था आक्रोश

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को जब इस नई कार्यकारिणी की सूची सार्वजनिक हुई, तो भाजपा के समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष फैल गया। समिति में कुछ ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया था, जो न सिर्फ मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा के हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर कई तरह की गलत व संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। पार्टी के भीतर ही इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया था। मामले की गंभीरता और कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए जिला अध्यक्ष संजीत अहिरवार ने बिना देर किए डैमेज कंट्रोल किया। जिला अध्यक्ष ने साफ किया है कि संगठन में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या गलत तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर और सभी चेहरों की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच-परख करने के बाद ही समिति का पुन: गठन करेंगे।

हाईकोर्ट के बाहर फिर लौटे अतिक्रमणकारी, अधिवक्ता ने की शिकायत

जबलपुर। हाईकोर्ट परिसर के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। कार्रवाई के महज एक सप्ताह बाद ही गेट नंबर-पांच से एल्गिन नर्सिंग कालेज तक चाय-पान के टपरेए सब्जी विक्रेता और अन्य अस्थायी अतिक्रमण फिर लौटने लगे हैं। इसे लेकर अधिवक्ता सतीश वर्मा ने रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को शिकायत भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में हटाए गए अतिक्रमण के बाद उक्त स्थान पर अधिवक्ताओं एवं न्यायालय आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए पार्किंग विकसित की गई थी। लेकिन दो-चार दिन के भीतर ही अतिक्रमणकारी दोबारा कब्जा जमाने लगे हैं। आरोप है कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के बजाय मूकदर्शक बने हुए हैं। दुकानदारों के ग्राहकों के वाहन पार्किंग में खड़े होने से व्यवस्था फिर चरमराने लगी है। अधिवक्ता वर्मा ने मांग की है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों का सामान तत्काल जब्त किया जाये, उन पर जुर्माना लगाया जाये और क्षेत्र में तैनात पुलिस व नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई।

अतिथि शिक्षकों में खुशी का माहौल मायूसी में बदला

▶ मानदेय सीधे दोगुना, वायरल आदेश निकला फर्जी

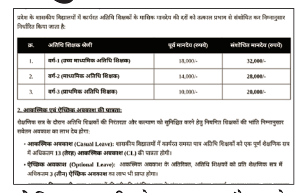

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय की दरों को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

क्र.	अतिथि शिक्षक श्रेणी	पूर्व मानदेय (रुपये)	संशोधित मानदेय (रुपये)
1.	वर्ग-1 (उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक)	18,000/-	32,000/-
2.	वर्ग-2 (माध्यमिक अतिथि शिक्षक)	14,000/-	28,000/-
3.	वर्ग-3 (प्राथमिक अतिथि शिक्षक)	10,000/-	20,000/-

2. आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता:

शैक्षणिक सत्र के दौरान अतिथि शिक्षकों की निरंतरता और कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु नियमित शिक्षकों की भांति निम्नानुसार सवेतन अवकाश का लाभ देय होगा:

- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave): शासकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त पात्र अतिथि शिक्षकों को एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 13 (तेरह) आकस्मिक अवकाश (CL) की पात्रता होगी।
- ऐच्छिक अवकाश (Optional Leave): आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, अतिथि शिक्षकों को प्रति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 (तीन) ऐच्छिक अवकाश का लाभ भी प्राप्त होगा।

नवभारत, जबलपुर। शासकीय स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय (वेतन) में करीब दो गुने की भारी वृद्धि साथ ही नियमित शिक्षकों की तर्ज पर सवेतन अवकाश का लाभ मिलने का एक आदेश वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही यह कथित आदेश सोशल मीडिया ग्रुप्स पर तेजी से घूमा वैसे ही शिक्षकों, परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चेहरे खिल उठे। वर्ग-1 का मानदेय 32,000 रुपये, वर्ग-2 का 28,000 रुपये और वर्ग-3 का 20,000 रुपये देखकर किई शक्षक तो एक-दूसरे को बधाइयां तक देने लगे। इतनी बड़ी वेतन वृद्धि और 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश की बात सुनकर हर कोई जश्न मनाने लगा लेकिन खुशी के इस माहौल के बीच जब कुछ जागरूक लोगों ने पत्र को ध्यान से देखा, तो उसमें जारी करने की तारीख 25/07/2026 लिखी हुई थी। आज की तारीख से भी आगे का यह पत्र देखकर लोग हैरान रह गए। पत्र में कई गंभीर गलतियां भी थीं, जिसने इस आदेश की सत्यता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जैसे ही यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत इसका खंडन करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी है। विभाग की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतिथि शिक्षकों की सैलरी और छुट्टी की खुशियां मायूसी में बदल गई।

फर्जी पत्र में किए गए भ्रामक दावे

अतिथि शिक्षकों को गुमराह करने के लिए इस एडिटेड पत्र में भारी वेतन वृद्धि की तालिका बनाई गई है जिसमें वर्ग-1 उच्च माध्यमिक पूर्व मानदेय 18,000 से बढ़ाकर संशोधित मानदेय 32,000 दर्शाया गया। वर्ग-2 माध्यमिक पूर्व मानदेय 14,000 से बढ़ाकर संशोधित मानदेय 28,000 दर्शाया गया। वर्ग-3 प्राथमिक पूर्व मानदेय 10,000 से बढ़ाकर संशोधित मानदेय 20,000 दर्शाया गया। पत्र में सत्र के दौरान 13 आकस्मिक अवकाश और 3 ऐच्छिक अवकाश देने का भी झूठा दावा किया गया है।

भविष्य की तिथि डाल किया गुमराह

वायरल हो रहे इस फर्जी पत्र की पोल इसकी जारी होने की तिथि से ही खुल गई है। इस आदेश में दिनांक 25/07/2026 अंकित है। शरारती तत्वों ने जल्दबाजी में आदेश की तारीख 25 जुलाई डाल दी, जो कि अभी आई ही नहीं है और भविष्य की तारीख का यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि किसी पुराने आदेश को एडिट करके यह फर्जीवाड़ा रचा गया है। यह पत्र किसी शरारती तत्व द्वारा हड़बड़ी में गलत तारीख डालकर एडिट किया गया है।

इनका कहना है

अतिथि शिक्षकों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि या आकस्मिक व ऐच्छिक अवकाश को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से वायरल हो रहा अतिथि शिक्षकों का मानदेय वृद्धि और अवकाश संबंधी आदेश पूरी तरह से फर्जी है।

गौतम बर्वे
जिला शिक्षा अधिकारी

एमपी सड़क विकास प्राधिकरण पर पांच हजार का जुर्माना

▶ जबलपुर-मंडला की नागा घाटी में भू-स्खलन का मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने जबलपुर-मंडला-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-30) स्थित नागा घाटी में लगातार हो रहे भूस्खलन और यात्रियों की सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पर शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने जनहित याचिका में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरडीसी) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुर्माने की राशि के साथ अपना स्पष्टीकरण भी अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए। यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि बरेला के आगे करीब 2.6 किलोमीटर लंबी नागा घाटी में बरसात के दौरान लगातार भूस्खलन होता है। पहाड़ियों से भारी चट्टानें और पत्थर सीधे हाईवे पर गिरते हैं, जिससे हर समय बड़े सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजमात नहीं किये जाते। उक्त मामले में न्यायालय ने अनावेदकों को पूर्व में जवाब पेश करने के निर्देश दिये थे।

गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपए जुर्माना

जबलपुर। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने गांजा तस्करी के आरोप में विदिशा निवासी विजय दांगी को दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 15 दिसंबर 2024 को तिलवारा पुलिस ने आरोपी को बिना नंबर की बाइक में पकड़ा। तलाशी में युवक के बैग से 23 किलों 400 ग्राम गांजा मिला। एजीपी अरविन्द जैन के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।

छापे में अनियमितताएं-गड़बड़ियां मिली, एक का लायसेंस निरस्त

जबलपुर। कृषि विभाग की छापेमारी के दौरान मिली अनियमितताएं, गड़बड़ियों पर एक्शन ले लिया गया है। एक कृषि आदान विक्रेता का लायसेंस निरस्त करने के साथ तीन के लायसेंस निलंबित कर दिए गए है। वहीं, परीक्षण में बीज के नमूने अमानक पाए जाने पर 21 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच अभियान के दौरान निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर काकरखेड़ा पाटन के विष्णु वराह कृषि केंद्र का बिना अनुमति प्रतिबंधित श्रेणी के कीटनाशकों का भंडारण एवं विक्रय पाये जाने पर कीटनाशक विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वहीं, मझगवां सिहोरा के न्यू गोस्वामी कृषि केंद्र का बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय लाइसेंस, बुढ़रा सिहोरा के तिवारी फर्टिलाइजर्स का उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय लाइसेंस तथा बुढ़रा सिहोरा के ही बी आर कृषि केंद्र का कीटनाशक विक्रय लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जांच अभियान के दौरान बीज विक्रेताओं से नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे।परीक्षण रिपोर्ट में बीज नमूने अमानक पाए जाने पर 21 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। इनमें शिव शक्ति कृषि केन्द्र मझौली, श्री श्रेष्ठ कृषि केन्द्र मझगवां, जय माँ दुर्गा कृषि केन्द्र अमगवां सिहोरा, विवेक कृषि केन्द्र बाबाताल सिहोरा, कृष्णा ट्रेडर्स पहरेवा सिहोरा, हरिओम ट्रेडर्स पाटन, नीलकंठ इंटरप्राईजेज पाटन, श्री नर्मदा डिस्ट्रीब्यूटर्स पाटन, जय सांई सरकार पाटन, मेसर्स तिवारी कृषि केन्द्र पाटन, कावेरी सीड्स कंपनी नगना, अंकुर सीड्स करमेता जबलपुर, एडवांटा इंटरप्राईजेज मंगेला पनागर, मेसर्स श्री गंगा एग्रो शहपुरा, रामदास विष्णु कुमार चौरसिया शहपुरा, चंडोक मशीनरीज कृषि उपज मंडी जबलपुर, श्री समृद्धि परामर्श आधारताल जबलपुर, सरस्वती फर्टिलाईजर शहपुरा एवं मेसर्स अरविंद ट्रेडर्स कुंडम शामिल है।

रादुविवि कर्मचारी संघ अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना विधिवत चार्जशीट जारी किए लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया, साथ ही निलंबन आदेश निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्वतंत्रता दी है कि यदि वे चाहें तो कानून के दायरे में रहकर याचिकाकर्ता के विरुद्ध चार्जशीट जारी कर सकते हैं।

दरअसल विवि कर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय यादव को 23 जनवरी 2026 को निलंबित किया गया था और उन पर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विपिन यादव और सुनील पांडे ने दलील दी कि संजय यादव को बिना किसी आरोप पत्र के 7 महीने से निलंबित रखा गया है, जो अनुचित है। हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में यह स्थापित किया है कि यद्यपि संबंधित नियमों में निलंबन की कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु निलंबन को एक दंड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि निलंबन के बाद 90 दिनों के भीतर कर्मचारी को चार्जशीट सौंप दी जानी चाहिए।

ट्रक में लदी 60 बोरी खाद जब्त

▶ नकली डीएपी होने की आशंका पर कृषि विभाग की कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। मझौली चौराहा कटनी रोड पनागर में फैमिली रेस्टोरेंट के पास कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए नकली डीएपी होने की आशंका पर मिनी ट्रक से 60 बोरी खाद जब्त कर ली है। जब्त खाद के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित उर्वरक विक्रेता, वाहन मालिक एवं क्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उपसंचालक किसान कल्याण व कृषि विकास उमेश कुमार कटहरे के अनुसार अनुविभागीय कृषि अधिकारी जबलपुर प्रतिभा गौर के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने शुक्रवार को मझौली चौराहा कटनी रोड पनागर में फैमिली रेस्टोरेंट के पास एक मिनी ट्रक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 60 बोरी डीएपी खाद पाई गई। प्रारंभिक जांच में खाद नकली प्रतीत होने पर उसके नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। वाहन चालक से खाद के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन वह कोई संतोषजनक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कृषि अधिकारियों ने मिनी ट्रक सहित खाद को पनागर थाना परिसर में सुरक्षित रखवा दिया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित उर्वरक विक्रेता, वाहन मालिक एवं खरीदार के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57